भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3651**
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय**: **भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि भूमि का कम होना**
**3651. श्री सुधाकर सिंहः**
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विभिन्न अभिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण देश भर में कितनी कृषि भूमि कम हुई है और तत्संबंधी राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;
(ख) कृषि भूमि के कम होने से देश की खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है और ऐसे अधिग्रहणों के दीर्घकालिक निहितार्थों के संबंध में सरकार का आकलन क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा खाद्य उत्पादन और ग्रामीण आजीविका पर कृषि भूमि के कम होने के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है अथवा कराने का विचार है; और
(घ) राष्ट्र के लिए सतत् खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृषि भूमि के संरक्षण के साथ विकासात्मक आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

**(क) से (घ):** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि और उसका प्रबंधन राज्यों के विशेष कानूनी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत किया जाता है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को उक्त अधिनियम की धारा 3(ई) के तहत परिभाषित 'उपयुक्त सरकार' द्वारा लागू किया जाता है।

देश में भूमि अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने 'आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013' अधिनियमित किया, जो दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बहु-फसलीय सिंचित भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम करने और किसी जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर कृषि भूमि के अधिग्रहण की सीमा निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत भूमि अधिग्रहण के कुछ मामलों में जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान है। विभाग विभिन्न एजेंसियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण देश भर में खोई गई कृषि भूमि की सीमा से संबंधित आंकड़ों को केंद्रीय रूप से नहीं रखता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप सकल फसली क्षेत्र, खाद्यान्न उत्पादन एवं फसल सघनता में वृद्धि हुई है।

जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है, नीति आयोग कार्य समूह की रिपोर्ट 2018 के अनुसार, वर्ष 2032-33 तक समग्र खाद्यान्न की स्थिति काफी अच्छी होगी।

*****